जीसीएमएस नबंरः–2013/00139

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0

33/2013

1. सरजीत कौर बेवा स्व0 गुरयाल जाति जटसिख निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. परमजीत कौर पुत्री स्व0 गुरयाल जाति जटसिख निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. चरणजीत कौर पुत्री स्व0 गुरयाल जाति जटसिख निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. कर्मजीत कौर पुत्री स्व0 गुरयाल जाति जटसिख निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. बलदेव सिंह पुत्र स्व0 गुरयाल जाति जटसिख निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. बलतेज सिंह पुत्र स्व0 गुरयाल जाति जटसिख निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत 15 नूरपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. खुशी मोहम्मद पुत्र बहादर खां जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. तुफैल खां पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. मोहम्मद अली पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. कर्मलाई पुत्री शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. साराफा पुत्री शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. नियमा पुत्री शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8. अल्लाजवाई पुत्री शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 15.12.1976 ग्राम पंचायत अलीपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जिसे अप्रार्थीगण ने अपने वाद–पत्र में दिनांक 15.12.1976 दर्शाया है, प्रमाणित प्रतिलिपि पट्टा में दिनांक 05.12.1976 पठनीय है, इसलिए उक्त आवंटन आदेश दिनांक 05.12.1976 व 15.12.1976 को निरस्त करने हेतु।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996

उपस्थित :–

1. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री इन्द्रजीत बिश्नोई अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 व 3
3. गैरनिरगानीकर्ता संख्या–4 ता 7 एक्स पार्टी

:: आदेश :: दिनांक: 29.05.2026

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

1. यह कि प्रार्थीगण ढाणी नूरपुरा वर्तमान पंचायत नूरपुरा एवं पुरानी पंचायत अलीपुरा के स्थाई निवासी है तथा उक्त पंचायत के करदाता है, इसलिए निगरानी प्रस्तत करने में सक्षम है।
2. यह कि प्रार्थीगण संख्या–1 के पति व शेष के पिता गुरदयाल सिंह पुत्र अलबेल सिंह जटसिख को तत्कालीन ग्राम पंचायत अलीपुरा जिसमें नूरपुरा ढाणी भी सम्मलित थी ने दिनांक 03.10.1975 को प्लाट संख्या ए–21 के एवज में ए–24 तादादी 833–1/3 दरगज मोजा नूरपुरा जिसका साईज 75X100 फुट विक्रय किया एवं पट्टा गुरदयाल सिंह के नाम तत्कालीन सरपंच चिमन लाल द्वारा जारी किया। इस प्रकार गुरदयाल सिंह भूखण्ड संख्या ए–24 साईज 75X100 फुट लम्बाई 833–1/3 दरगज पर सन् 1975 से ही काबिज हो गया जिसकी चार दिवारी बनाकर वर्तमान समय में गुरदयाल सिंह की मृत्यु दिनांक 28.06.2005 के पश्चात प्रार्थीगण निवास कर रहे है। प्रार्थीगण के साथ उनका चाचा लाभ सिंह भी रहता है। प्रार्थीगण एक मात्र गुरदयाल सिंह के विधिक उत्तराधिकारी है। इसलिए निगरानी प्रस्तुत करने में सक्षम है। आवंटन आदेश भूखण्ड संख्या ए–24 एवं कब्जा एवं गुरदयाल सिंह की मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिसनामा की छाया प्रतिलिपि सलंग्न निगरानी है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

3. यह कि अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 08 ने एक फर्जी पट्टा ढाणी नूरपुरा नई आबादी का दिनांक 15.12.1976 जो पढने में दिनांक 05.12.1976 स्पष्ट है को 15.12.1976 का बनाकर शेर मोहम्मद खुशी मोहम्मद पुत्र बहादर खां ग्राम पंचातय अलीपुरा से जारी होना दर्शाते हुए एक वाद पत्र प्रार्थीगण के चाचा लाभ सिंह एवं टहल सिंह पुत्रान अलबेल सिंह के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसके सम्मन प्रार्थीगण के चाचा लाभ सिंह, टहल सिंह को माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सादुलशहर से प्राप्त होने पर वकील नियुक्त करके दावा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जिसमें अप्रार्थीगण अपने आपको नूरपुरा नई आबादी के भूखण्ड संख्या ए–24 का जूनूबी साईड का साईज 60X60 फुट का फर्जी पट्टा के आधार पर स्वामी बता रहे, इसकी जानकारी प्रार्थीगण को उनके चाचा ने दी तो उक्त फर्जी पट्टा ए–24 साईज 60X60 फुट का बताकर प्रार्थीगण को बेदखल कर नाजायज कब्जा करना चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण निम्न बिन्दुओं पर पट्टा संख्या ए–24 साईज साईज 60X60 फुट जूनूबी साईड जो दिनांक 15.12.1976 एवं पठनीय दिनांक 05.12.1976 को निरस्त करवाना चाहते है। दावा एवं पट्टा जो अप्रार्थीगण ने फर्जी बनाया है की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न निगरानी है।

(क) यह कि पट्टा नूरपुरा नई आबादी वर्तमान पंचायत नूरपुरा पुरानी पंचायत अलीपुरा द्वारा कभी भी जारी नहीं किया गया है। शेर मोहम्मद खां, खुशी मोहम्मद ने कभी भी कोई प्रार्थना–पत्र आवंटन हेतु ग्राम पंचायत तत्कालीन को प्रस्तुत नहीं किया और न ही ग्राम पंचायत ने तत्कालीन प्रभावशील नियमों के अन्तर्गत बने किसी नियमों के अनुसार कार्यवाही करके पट्टा जारी किया। समस्त कार्यवाही अप्रार्थीगण ने फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज बनाकर पट्टा जारी होना दर्शाया है। प्रथम दृष्टया पट्टा पठनीय तारीख प्रमाणित प्रतिलिपि पट्टा के अनुसार 5.12.1976 है जिसे वाद पत्र में 15.12.1976 दर्शाया गया है। इसलिए दोनो ही तारीखें को निगरानी में निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। अन्तिम निष्कर्ष एवं अप्रार्थीगण की स्वीकृति के पश्चात जो तारीख श्रीमान जी सही माने उस तारीख के पट्टे को निरस्त किया जावें। पट्टा जारी करने की तारीख एवं सन 70 को कटिंग करके 76 बनाया गया जो 77 भी पठनीय लगता है जिसे अप्रार्थीगण दिनांक 15.12.1976 को जारी होना स्वीकार करते है। पट्टा प्रथम दृष्टया कांट–छांट से फर्जी एवं बनावटी प्रतीत होता है। पट्टा पर सरपंच के हस्ताक्षर प्रार्थीगणके पट्टे एवं अप्रार्थीगण के पट्टे से मिलान किया जा सकता है। अप्रार्थीगण के पट्टे पर सरपंच चिमन लाल के हस्ताक्षर प्रथम दृष्टया फर्जी व बनावटी साबित है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(ख) यह कि प्रार्थीगण को जारी किया गया पट्टा भूखण्ड संख्या ए–24 दिनांक 03.10.1975 साईज 70X100 चौडाई लम्बाई में से जूनूबी हिस्सा 60X60 फुट दिनांक 15.12.1976 या 05.12.1976 को पूर्व के पट्टे को निरस्त किये बिना जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए अप्रार्थीगण का पट्टा दिनांक 15.12.1976 या 05.12.1976 निरस्त किये जाने योग्य है।

(ग) यह कि वर्तमान सरपंच एवं डायरैक्टर पंचायत समिति ने दिनांक 05.04.2013 को यह प्रमाण–पत्र जारी किया कि भूखण्ड संख्या ए–24 नूरपुरा में पट्टाशुदा कटा हुआ है। जिसे गुरदयाल सिंह की मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र प्रार्थी बलतेज सिंह को दे दिया है जिसकी निशान देही की गयी। इस प्रकार ही प्लाट संख्या ए–24 के वैध मालिक है। पट्टे की छाया प्रति अटैस्टेड सलंग्न निगरानी है।

(घ) यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को समझाया कि आप फर्जी पट्टा के आधार पर हमारे वैध पट्टा के प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश न करें तथा फर्जी पट्टा पर कार्यवाही किसी न्यायालय में न करें तो वे बमुकाम नूरपुरा में दिनांक 20.07.2013 को साफ इन्कार हो गये।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि आबादी भूमि का विक्रय विलेख (बैयनामा) पट्टा दिनांक 15.12.1976 जो पढने में दिनांक 05.12.1976 दर्शित होता है , जो ग्राम पंचायत अलीपुरा द्वारा फर्जी बनाकर खरीद करना बतलाया है को निरस्त किया जावें तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध फर्जी विक्रय विलेख पट्टा बनाने हेतु फोजदारी मुकदमा दर्ज कर दण्डित करने हेतु पंचायत को निर्देशित किया जावें।

निगरानी से सबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता की ओर से लिखित बहस निम्नानुसार है :–

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी ग्राम पंचायत अलीपुरा सादुलशहर के आदेश दिनांक 15.12.1976 जिसे अप्रार्थीगण द्वारा वाद–पत्र संख्या 05/2013 खुशी मोहम्मद बनाम लाभ सिंह न्यायालय सिविल न्यायाधीश सादुलशहर के समक्ष प्रस्तुत किय गये में दर्शाया गया है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पट्टा में 05.12.1976 अंकित है को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण के पिता/पति गुरदयाल सिंह पुत्र अलबेल सिंह जटसिख को तत्कालीन ग्राम पंचायत अलीपुरा जिसमें नूरपुरा ढाणी भी सम्मिलित थी, के द्वारा दिनांक 03.10.1975 को प्लाट संख्या ए–21 की एवज में ए–24 तादादी 833–1/3 दरगज मोजा नूरपुरा जिसका

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

साईज 75X100 फुट विक्रय किया एवं पट्टा गुरदयाल सिंह भूखण्ड संख्या ए–24 साईज 75X100 पैगाइशी पर सन् 1975 से ही काबिज हो गया। गुरदयाल सिंह की मृत्यु दिनांक 28.06.2005 को हो गई। प्रार्थीगण उसके विधिक वारिसान है जो विवादित भूखण्ड पर वर्तमान में निवास कर रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा ढाणी नूरपुरा नई आबादी का दिनांक 15.12.1976 जो पढने में 05.12.1976 स्पष्ट प्रतीत होता है तथा जो कंटिंग करके 70 को 76 बनाया गया है शेर मोहम्मद–खुशी मोहम्मद पुत्र बहादर खां ग्राम पंचायत अलीपुरा से जारी होना दर्शाते हुए वाद–पत्र प्रार्थीगण के चाचा लाभ सिंह , टहल सिंह को माननीय सिविल न्यायाधीश सादुलशहर में पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद–पत्र में अप्रार्थीगण भूखण्ड संख्या ए–24 जो नूरपुरा नई आबादी में साईज 60X60 का फर्जी पट्टा के आधार पर स्वामी दर्शाते हुए प्रार्थीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था। वास्तविक स्थिति यह है कि अप्रार्थीगण शेर मोहम्मद, खुशी मोहम्मद के नाम पंचायत द्वारा भूखण्ड संख्या ए–24 60X60 फुट का कोई पट्टा वर्तमान पंचायत नूरपुरा , पुरानी पंचायत अलीपुरा द्वारा जारी नहीं किया गया था ना ही कोई प्रार्थना पत्र भूखण्ड आवंटन हेतु अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत कये समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित पट्टा पूर्ण विधिक कार्यवाही द्वारा अर्थात नियमों के अन्तर्गत पालना कर नहीं जारी करवाया गया है बल्कि समस्त कार्यवाही अप्रार्थीगण द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज बनाकर पट्टा जारी करवाया गया है। ग्राम पंचायत नूरपुरा के सरपंच एवं डायरेक्टर द्वारा दिनांक 05.04.2013 को भूखण्ड संख्या ए–24 साईज 75X100 फुट जो कि गुरदयाल सिंह के नाम आवंटित हुआ था जिनकी मृत्यु पश्चात उसके पुत्र बलतेज सिंह को निशान देही दी गई है। इस प्रकार प्रार्थीगण ही प्लाट संख्या ए–24 ही विवादित भूखण्ड के वैध मालिक है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा ए–21 के एवज में ए–24 पैमाइशी 833–1/3 दरजगज मोजा नूरपुरा दिनांकित 03.10.1975 द्वारा क्रय किया गया था जिसका पट्टा गुरदयाल सिंह के नाम तत्कालीन सरपंच चिमनलाल द्वारा समस्त आवश्यक विधिक कार्यवाही का पालन करते हुए जारी किया गया था तथा एक वैध पट्टा की परिभाषा में आता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा फर्जी एवं कूटरचित पट्टा दिनांकित 05.12.1976 पट्टा संख्या ए–24 साईज 60X60 फुट जूनूबी साईड जारी एवं बनाया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मुझ गैरानिगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत अलीपुरा पंचायत समिति सादुलशहर के आदेश दिनांक 5.12.1976 प्लाट संख्या ए–24 तादादी साईज 60X60 जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज अधिनियम के तहत बने नियमों की पालना

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

करते हुए जारी किया गया है। निगरानीकर्ता का यह कथन कि गुरदयाल सिंह पुत्र अलबेल सिंह जाति जटसिख को तत्कालीन ग्राम पंचायत अलीपुरा के द्वारा दिनांक 03.10.1975 को प्लाट संख्या ए-21 की एवज में प्लाट संख्या ए-24 तादादी 833-1/3 दरमज मोजा नूरपुरा जिसका साईज 75X100 फुट विक्रय किया तब से गुरदयाल सिंह उक्त भूखण्ड पर काबिज हो गया निराधार एवं झूठ है क्योंकि अगर उक्त विवादित भूखण्ड पर उसका कब्जा होता तो गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा वाद-पत्र संख्या 05/2013 खुशी मोहम्मद बनाम लाभ सिंह न्यायालय सिविल न्यायाधीश सादुलशहर के समक्ष के निगरानीकर्तागण के चाचा लाभसिंह, टहल सिंह के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का क्यों प्रस्तुत करता। उक्त विवादित भूखण्ड पर मेरा कब्जा आवंटन की दिनांक से चला आ रहा है। मेरे उक्त भूखण्ड को हड़पने के लिए निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता के नाम जारी पट्टा को बहाल रखा जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता ने निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत 15 एसपीएम के आदेश दिनांक 05.09.20013 संकल्प संख्या 6 से निगरानकर्तागण की भूमि पर कब्जा हटाने का व भवन सामग्री जब्त करने का आदेश दिया गया के विरूद्ध पेश की है। निगरानीकर्तागण को ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा पट्टे जारी किये जाने बताये गये है जबकि निगरानीकर्तागण ग्राम पंचायत 15 एसपीएम के निवासीयान है। यहां मुख्य बिन्दु क्षेत्राधिकार है जिसके सम्बन्ध में विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाकर क्षेत्राधिकार के बिन्दु का निरतारण करवाया जाना उचित होगा।

फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 05.09.20013 संकल्प संख्या 6 जो ग्राम पंचायत 15 एसपीएम द्वारा पारित किया गया है जबकि निगरानीकर्तागण के नाम से ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा पट्टो का आवंटन किया गया है के सम्बन्ध में विकास अधिकारी पंचायत समिति सादुलशहर स्वयं के नेतृत्व में कमेटी गठित कर जांच करें कि क्या ग्राम पंचायत गणेशगढ को उक्त पट्टे जारी करने का क्षेत्राधिकार था या नही ?। उक्त जांच के दौरान दोनो पक्षो की उपस्थिति में सुनवाई करते हुए उक्त विवादित पट्टो एवं संकल्प संख्या-6 दिनांक 05.09.2013 का निस्तारण करें। उक्त जांच में अगर पट्टे गलत जारी होने पाये जाते है तो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर (राज.) ★

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पट्टो को निरस्त करवाने की कार्यवाही की जावें एवं अगर संकल्प संख्या –6 दिनांक 05.09.2013 गलत पाया जाता है तो उसे निरस्त करवाने की कार्यवाही की जावें। आदेश की प्रति मय रिकार्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजा जावे एवं आदेश की प्रति पालनार्थ विकास अधिकारी पंचायत समिति, सादुलशहर को भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner